षोडश

बिहार विधान-सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 10 फाल्गुन, 1937 (श०) / 29 फरवरी, 2016 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 63

(1) गृह विभाग	38
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	02
(3) उद्योग विभाग	03
(4) वित्त विभाग	03
(5) कारा विभाग	02
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	06
(7) गन्ना उद्योग विभाग	02
(8) वाणिज्य-कर विभाग	06
(9) सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	01
कुल योग —	63

थाना में परिणत करना

*87. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत शालमारी ओ०पी० को थाना के रूप में परिवर्तित नहीं होने से अपराधियों पर नियंत्रण में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शालमारी ओ०पी० के अन्तर्गत शालमारी, तेलडा, सुकुरिया, गम्भरा, बघौरा सहित कुल 14 पंचायत के 160 गाँव पड़ते हैं, बड़ा क्षेत्र होने के कारण पुलिस को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शालमारी ओ०पी० को थाना में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*88. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अन्तर्गत कुर्था विधान-सभा के मानिकपुर पंचायत के ग्राम-रामपुर में एक बड़ा कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंकों पर कार्रवाई

*89. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, वित्त (संस्थागत वित्त) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि से जुड़े ऋणों की सुलभ उपलब्धता के लिये राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी की उप-समिति (कृषि) का गठन 3 साल पूर्व किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के बैंकों में प्रत्येक बुधवार को कृषि ऋण हेतु शिविर लगाने का निर्णय 3 वर्ष पूर्व हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में पशु विकास, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और कृषि यांत्रिकरण के लिये ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अबतक बैंकों द्वारा क्रमशः 6.92, 1.5, 12.90 तथा 13.90 प्रतिशत ऋण का ही वितरण किसानों के बीच किया जा सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस धीमी गति से ऋण वितरण के लिये जिम्मेदार बैंकों के विरुद्ध कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट स्थापित करना

*90. डॉ० सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ प्रखंड के पुरानी अस्पताल, कटरा में स्थापित पुलिस पिकेट को 5 वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया है जिसके कारण चोरी, डकैती एवं अन्य आपराधिक घटना में वृद्धि हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पुरानी अस्पताल, कटरा में पुलिस पिकेट पुनः स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार खोलना

*91. डॉ० शकील अहमद खाँ—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड में उप-कोषागार नहीं होने के कारण इस इलाके के आम जनता को 30 किलो मीटर दूर कटिहार जिला मुख्यालय जाना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कदवा प्रखंड में उप-कोषागार खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाका स्थापित करना

*92. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत अरिहाना, पीरगंज, गोगरा, लालगंज गुठली, सिंघौल, रोहिया, घोरदह, सिकटिया, बैरिया, शीतलपुर, बिशनपुर तथा झौआ पुल समीप आये दिन लगातार छिनतई, चोरी-डकैती, हत्या होती रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँवों का संरक्षण हेतु घोरदह में एक पुलिस नाका स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट बनाना

*93. श्री राम नारायण मंडल—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत मंदार पर्वत एवं इससे सटे पापहरणी सरोवर इस राज्य की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत है एवं यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पुलिस पिकेट की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मंदार पर्वत से सटे पापहरणी सरोवर के पास एक पुलिस पिकेट बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट बनाना

*94. श्री राम नारायण मंडल—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत समुखिया मोड़ में उच्च विद्यालय, महाविद्यालय एवं बैंक होने के साथ-साथ यहाँ बड़ा हाट भी लगता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समुखिया मोड़ में इनकी सुरक्षा हेतु पुलिस पिकेट की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समुखिया मोड़ में एक पुलिस पिकेट बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*95. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुण प्रखंड अन्तर्गत धमनी पंचायत के ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*96. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के पंचायत खुट्टी धुनैली, खोखा गोगा, श्रीनगर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*97. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के 10 नं0 रोड में पूरब धुनैली पंचायत में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा देना

*98. सुश्री पूनम पासवान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला का कोढ़ा प्रखंड अनुमंडल बनने की सारी शर्तें पूरा करता है, यदि हाँ तो क्या सरकार कोढ़ा को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ए0 टी0 एस0 को सुदृढ़ करना

*99. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अंदर आतंकी हमलों से निपटने के लिये 2013 में ए0 टी0 एस0 (एन्टी टेररिस्ट स्क्वाड) के गठन की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य ए0 टी0 एस0 में अभी अतिरिक्त प्रभार में सिर्फ दो अधिकारी ही तैनात हैं जबकि जुलाई, 2014 में सभी स्तर के 344 पदों का सृजन गृह विभाग द्वारा किया गया, परन्तु अबतक कोई बहाली नहीं हुई ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार में बोधगया और गाँधी मैदान में अलग-अलग दो आतंकी घटनाएँ घट चुकी है और आई0 बी0 एवं अन्य खुफिया एजेन्सियों ने होनेवाली आतंकी घटना के संबंध में अलर्ट जारी किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार में आतंकी घटनाओं की रोक-थाम के लिए ए0 टी0 एस0 को सुदृढ़ करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था को सुधारना

*100. <u>श्री नारायण प्रसाद</u>—क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मंडल कारा, बेतिया (प० चंपारण) में कुल कैदियों की क्षमता 623 है, जिसमें पुरुष 603 तथा महिला 20 शामिल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैदियों की निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी रखे जाने के कारण उन्हें सोने, खाने व शौच में काफी परेशानी होती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बन्दियों के लिये वस्त्र एवं बिछावन हेतु कुर्ता 3, पैजामा 2, गंजिया 2, गमछा 1, टोपी 1 एवं चादर 1 दिये जाने का प्रावधान है, जो नहीं दिया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मंडल कारा की व्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जेल का निर्माण

*101. <u>श्री दिनेश चन्द्र यादव</u>—क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कोसी प्रमंडल के सहरसा जिला के सिमरी-बख्तियारपुर एवं सुपौल जिला के निर्मली एवं त्रिवेणीगंज को अनुमंडल बने 22 वर्ष हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक उक्त अनुमंडलों में जेल का निर्माण नहीं होने से अनुमंडलीय न्यायिक न्यायालय नहीं बन पाया, जिससे आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त तीनों अनुमंडल में जेल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऋण दिलाने का विचार

*102. <u>श्री अचमित ऋषिदेव</u>—क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015 में जिला उद्योग केन्द्र, अररिया द्वारा कुल 99 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 99 आवेदन में से केवल 27 आवेदक को लोन की स्वीकृति दी गई है जबकि शेष 72 आवेदन बैंकों में लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या शेष 72 आवेदन स्वीकृत कर आवेदकों को रोजगार सृजन करने हेतु ऋण दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*103. श्री कृष्ण कुमार ऋषि--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बड़हरा कोठी प्रखंड के दिवरा बाजार पर कोई थाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिवरा बाजार से जानकी नगर थाना 15 कि०मी० एवं बड़हरा कोठी थाना 12 कि०मी० होने के कारण दिवरा बाजार में 6 माह पूर्व दो मर्डर की घटना के साथ-साथ आये दिन आपराधिक घटनाएँ होती रहती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिवरा बाजार में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*104. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड प्रखंड के सिमरा पंचायत के ग्राम-हरपुरसारी में कब्रिस्तान की घेराबन्दी हेतु प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा गृह सचिव, बिहार, पटना को पत्रांक 436/आ० पटना, दिनांक 28 नवम्बर, 2012 को पत्र लिखा गया था, परन्तु अबतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० स्थापित करना

*105. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया से केसरिया 25 कि०मी० तक के बीच कोई भी थाना या ओ०पी० नहीं रहने से अपराध की घटनाओं को रोकने में पुलिस विभाग को काफी परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रोड के वृंदावन एवं बल्ली बेलवा में कोई-न-कोई घटनाएँ घटती रहती है तथा यह क्षेत्र कल्याणपुर, चकिया एवं केसरिया को थाना से दूर रहने के कारण पुलिस को तात्कालिक कार्रवाई में दिक्कत हो जाती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वृंदावन या बल्ली बेलवा में नया पुलिस थाना या ओ०पी० स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*106. डॉ० फराज फातमी--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''चयनित गृह रक्षकों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गृह रक्षक के 250 पदों के विरुद्ध 220 एवं शहरी क्षेत्र के गृह रक्षक के 30 पदों के विरुद्ध 11 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम एक वर्ष पूर्व घोषित किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 153 गृह रक्षकों एवं शहरी क्षेत्र के 11 गृह रक्षकों की नियुक्ति कर ली गई, लेकिन शेष 67 अभ्यर्थियों को आवश्यक नियुक्ति पत्र नहीं भेजा गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 67 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ॰पी॰ खोलना

*107. <u>श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव</u>--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहाँ प्रखंड के एन॰एच॰ 77 पर अहियापुर थाना से सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड तक 35 कि॰मी॰ की दूरी में कोई ओ॰पी॰ नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि है कि अहियापुर थाना के एन॰एच॰ 77 से रून्नीसैदपुर थाना के बीच सिधुनपुर राजे (छपड़ा) में ओ॰पी॰ नहीं होने के कारण पुलिस प्रशासन को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन॰एच॰ 77 पर अहियापुर और रून्नीसैदपुर थाना के बीच सिधुनपुर राजे (छपड़ा) में ओ॰पी॰ खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन की घेराबंदी

*108. <u>मो॰ नवाज आलम</u>--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा शहर में मीर्जाजान का तालाब है, जो वक्फ की जमीन है, परन्तु उस जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वक्फ की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उक्त जमीन की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू करना

*109. <u>श्री प्रमोद कुमार</u>--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी चीनी मिल पिछले 10 वर्षों से बन्द पड़ा है, जिसके ऊपर किसान, मजदूर एवं सरकारी राजस्व का लगभग 100 करोड़ बकाया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बकाया का भुगतान करते हुये पुनः चीनी मिल चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करना

*110. <u>श्री विजय कुमार सिन्हा</u>--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में राज्य के थानों में विधि-व्यवस्था व अनुसंधान की इकाई को अलग करने की योजना शुरू की गयी थी, लेकिन योजना का कार्यान्वयन अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना को पूरे राज्य में कबतक लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भाषा को सम्मिलित करना

*111. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा के भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित रहने के बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित भाषाओं में संथाली भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक संथाली भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग की भाषाओं में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*112. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा थाना, मनरेगा भवन में चार वर्षों से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का अपना भवन नहीं रहने से थाना प्रशासन को कार्य करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*113. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखंड अधीन चन्दरही कब्रिस्तान, कुआँड़ी कब्रिस्तान तथा मीरगंज कब्रिस्तान में घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*114. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान-- क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड के हरपुर सानी गाँव में दो कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसकी घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*115. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार नगर में सहायक थाना भवन निर्माण हेतु कटिहार अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या 01, खाता संख्या 1112, खेसरा सं०1062 एवं 1063 कुल रकबा 10 डीसमिल परती जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्ष 2013 में हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खाली जमीन हस्तांतरण के बाद भी सहायक थाना भवन का निर्माण कार्य अभीतक प्रारम्भ नहीं हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में यह थाना राजस्व कचहरी एवं इंदिरा गाँधी पुस्तकालय के संयुक्त जमीन पर अस्थायी रूप से चल रहा है, जिससे थाना परिचालन में कठिनाई हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर मॉडल थाना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*116. श्री सैयद अबु दोजाना--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-बमाही एवं अमाता में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*117. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में नगर परिषद, बेतिया में 49,00,000 (उनचास लाख) रुपये का घोटाला के संबंध में बेतिया थाना कांड संख्या 290/14 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कांड में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता एवं अध्यक्ष नगर परिषद् अभियुक्त बनाये गये थे ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस आरोप में कार्यपालक पदाधिकारी अन्य संबंधित अभियुक्तों को जेल जाना पड़ा था, परन्तु नगर परिषद् अध्यक्ष पर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनके विरुद्ध भी समान आरोप गठित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोषी अध्यक्ष के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*118. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत गढ़गाँव, डारह, महपतिया, बसीपट्टी, डालखा, भरगामा, बकुआ, करहारा कुल आठ पंचायत में आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। कोसी दियारा के इस इलाके में अपराधियों की आपराधिक गतिविधि बहुत सक्रिय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बसीपट्टी पंचायत के बरसवा गाँव में थाना खोलने से उक्त गाँवों के लाखों की आबादी के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जायेगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थल पर थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण मुहैया कराना

*119. <u>श्री मिथिलेश तिवारी</u>--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के लोग सालभर में जितना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, उस अनुपात में बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले दस सालों में राज्य का सीडीआर महज 12.85 प्रतिशत ही बढ़ा है जबकि दूसरे राज्यों में सीडीआर में कई गुणा की बढ़ोतरी हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार का सीडीआर अन्य राज्यों के स्तर तक बढ़ाने एवं आमजनों को सुलभ ऋण मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इकाइयों को शुरू कराना

*120. <u>श्री अरुण कुमार सिन्हा</u>--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में उद्योग लगाने के लिये राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन 2006 में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा गठन के पश्चात् अबतक 2,200 परियोजनाओं को स्वीकृत करने के बावजूद मात्र 500 उद्योग ही चालू हो सके हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वीकृत शेष 1,700 औद्योगिक इकाइयों को शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

*121. <u>श्री अमित कुमार</u>--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल पेराई वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के बीते हुये माह में किसानों के बकायों का भुगतान मिल प्रबंधक द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि मिल प्रबंधन द्वारा बकाया राशि का भुगतान किसानों को नहीं किये जाने से किसान आत्महत्या करने जैसी स्थिति में पहुँच गये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का किसानों के बकाये राशि का भुगतान रीगा चीनी मिल प्रबंधन से कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फैक्ट्री चालू कराना

*122. <u>श्री अरुण कुमार</u>--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सौरबाजार प्रखण्ड के अन्तर्गत बैजनाथपुर पेपर फैक्ट्री का निर्माण आज से 40 (चालीस) वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जो आजतक बनकर तैयार नहीं हुआ, यदि हाँ, तो सरकार उक्त फैक्ट्री को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना में परिणत करना

*123. श्री [illegible]—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत [illegible] प्रखण्ड में ओ०पी० है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० थाना के रूप में विकसित होने की हर शर्त को पूरा करता है, परन्तु आज उसको थाना का दर्जा नहीं मिल सका;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ओ०पी० को थाना में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा स्थापित करना

*124. डॉ० अशोक कुमार—क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड शिवाजीनगर के [illegible] एवं [illegible] चौक व्यावसायिक केन्द्र है एवं दोनों जगहों की जनसंख्या 20 एवं 25 हजार है, लेकिन यहाँपर एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*125. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पुरुना छपरा, [illegible], [illegible], मदन, सिरसिया आदि गाँव नक्सल प्रभावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र [illegible], कल्याणपुर तथा केसरिया थाना से लगभग 15-20 एवं 25 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है, जिससे किसी प्रकार की घटना घटित होने पर पुलिस को वहाँ पहुँचने में काफी विलम्ब हो जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुरुना छपरा में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*126. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के ग्राम-बड़ेम में ओ०पी० थाना है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० थाना से [illegible] थाना की दूरी 2 कि०मी० तथा नवीनगर थाना की दूरी 4 कि०मी० है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों थाना और उक्त ओ०पी० नवीनगर, [illegible] सड़क पर अवस्थित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नवीनगर, [illegible] रोड पर [illegible] थाना एवं नवीनगर थाना के अलावे उक्त दोनों थाना के मध्य बड़ेम में ओ०पी० खोलने का क्या औचित्य है ?

पैसा वापस करवाना

'क' *127. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ सहित बिहार के अनेक जिलों में वर्ष 2006 से 2013 तक कलकत्ता की प्रयाग ग्रुप एवं अन्य चिट-फंड कम्पनी लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर चम्पत हो गयी;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लाखों गरीब निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई चिट फंड कम्पनी के विरुद्ध नहीं हुई;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गरीब निवेशकों का पैसा वापस करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की व्यवस्था

*128. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जे0पी0 सेनानी सम्मान योजनान्तर्गत एक माह से 6 माह तक मीसा बंदी को 5000 रु0 प्रतिमाह एवं 6 माह से अधिक मीसा बंदी को 10,000 रु0 प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री अरुण कुमार अग्रवाल, मोहल्ला-बंगलागढ़, दरभंगा समेत दरभंगा जिला के 12 अन्य व्यक्ति जो 23 अगस्त, 1975 से 26 मई, 1976 तक, 6 माह से ऊपर मीसा [illegible] दरभंगा मंडल कारा में बंद थे, लेकिन उन्हें 6 माह से कम मानते हुए 5000 रु0 प्रतिमाह ही पेंशन भुगतान किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अरुण कुमार अग्रवाल समेत सभी 12 लोगों को 6 माह से ऊपर की श्रेणी में रखते हुए प्रावधान के अनुसार 10,000 रु0 प्रतिमाह पेंशन देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा देना

*129. श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ रिंकू सिंह—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण को पुलिस जिला बने हुए 15 वर्ष बीत गये हैं, लेकिन राजस्व जिला का दर्जा अभीतक नहीं मिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिला राजस्व जिला के सभी अर्हताएं पूरी करता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला को राजस्व जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राईस मील खोलना

*130. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड 32 पंचायतों का है, जिसमें हर पंचायत में धान की खेती होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड में राईस मिल नहीं रहने के कारण किसानों को काफी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में राईस मिल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क' गृह (विशेष) विभाग से वित्त विभाग को स्थानान्तरित ।

थाना को जोड़ना

*131. श्री [illegible] सिंह : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायत [illegible] एवं [illegible] कोचस प्रखंड में पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत [illegible] एवं [illegible] का थाना से संबंधित कार्य दिनारा थाना में होता है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों पंचायत से कोचस थाना नजदीक है तथा दिनारा थाना दूर पड़ता है, जिसके कारण दोनों पंचायत के ग्रामीणों को दिनारा आने जाने में असुविधा होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार [illegible] एवं [illegible] पंचायत को कोचस थाना से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*132. श्री [illegible] : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के [illegible] थाना विगत 20 वर्षों से किराया के मकान में चल रहा है, जबकि थाना का अपना भवन निर्माण हेतु जमीन भी थाना में उपलब्ध है, लेकिन भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है; यदि हाँ, तो क्या सरकार [illegible] थाना के भवन का निर्माण कर थाना संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का संचालन करना

*133. श्री [illegible] : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] कॉलेज में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का संचालन नहीं किया जा रहा है; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास का संचालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्किंग स्थल की व्यवस्था

*134. श्री [illegible] : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] नगर में आवागमन के लिये ट्रैफिक प्रणाली एवं पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे स्कूल के बच्चों, मरीजों आदि को आवागमन में कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार [illegible] नगर में ट्रैफिक प्रणाली एवं पार्किंग स्थल की व्यवस्था कर आवागमन को सुगम बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा केन्द्र प्रारम्भ करना

*135. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, संस्थागत वित्त (मौद्रिकी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में वर्ग एक से आठ तक के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जयनगर प्रखंड के पडुआ, बेलही एवं बेलहा पंचायतों में न तो बैंक की शाखाएँ हैं न तो बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पडुआ, बेलही एवं बेलहा पंचायतों में बैंक की शाखाएँ या बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र आरंभ करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पावती रसीद देना

*136. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा थानों में आवेदन देने के उपरान्त उसे प्राप्ति रसीद दिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेतिया पुलिस जिला (प० चम्पारण) के नौतन, बैरिया, [illegible], जगदीशपुर, मुफस्सिल थाना में पावती रसीद नहीं दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थानों में दिये गये आवेदन की पावती रसीद देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*137. श्री मेवा लाल चौधरी--क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड अन्तर्गत पतिया पंचायत के जुनजुनिया गाँव में अभीतक बैंक की शाखा नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में बैंक की शाखा खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*138. श्री मेवा लाल चौधरी--क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अन्तर्गत स्टेट बैंक की शाखा नहीं है, जबकि जनसंख्या 78,000 से ऊपर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार टेटिया बम्बर में स्टेट बैंक की शाखा खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*139. श्री कृष्ण कुमार ऋषि—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा अनुमंडल के रुपौली थाना सामुदायिक भवन में विगत 15 वर्षों से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का अपना भवन नहीं रहने के कारण पुलिस प्रशासन को कार्य करने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना की स्थापना

*140. श्री अनिल कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड को मेजरगंज एवं बैरगनिया प्रखंड के हिस्सा को काटकर बनाया गया है, जिसमें मेजरगंज सहायक थाना एवं बैरगनिया सहायक थाना सम्मिलित हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नये प्रखंड में दो-दो सहायक थाना होने से सुप्पी प्रखंड के लोगों को अपने कार्य के लिये दो-दो थाना का चक्कर लगाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेजरगंज एवं बैरगनिया सहायक थाना को अलग कर नवसृजित सुप्पी प्रखंड के लिये एक सुप्पी थाना की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*141. श्रीमती (डॉ०) रंजू गीता—क्या मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड जिला मुख्यालय से 14 कि०मी० की दूरी पर सुदूर में अवस्थित है, बाजपट्टी भाग विधान-सभा क्षेत्र के मध्य में पड़ता है जहाँपर तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बाजपट्टी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*142. डॉ० विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी नगर पंचायत के [illegible] में [illegible] शरीफ कब्रिस्तान एवं [illegible] शरीफ में मसूरी कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं होने से कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*143. श्री सत्यदेव सिंह : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अन्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के वंशी प्रखंड में पुलिस थाना का अपना भवन नहीं रहने से थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस कर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में पुलिस थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*144. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र के मधुबनी, रामनगर, पिपरासी एवं भितहाँ कुल चार प्रखंडों को मिलाकर वाल्मीकिनगर अनुमंडल का दर्जा देने की माँग वर्षों से होती रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चार प्रखंड मिलाकर वाल्मीकिनगर अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*145. श्रीमती (डॉ०) रंजू गीता : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड स्थापित होने के बाद से आज तक प्रखंड के 11 (ग्यारह) पंचायतों की विधि व्यवस्था का नियंत्रण नानपुर थाना से सम्पादित होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि नानपुर थाना क्षेत्र के अन्दर स्वयं नानपुर का 17 पंचायत और बोखड़ा प्रखंड का 11 (ग्यारह) पंचायत मिलाकर कुल 28 पंचायतों की विधि व्यवस्था का भार नानपुर थाना पर पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोखड़ा प्रखंड के लिये अलग से थाना भवन का निर्माण कर स्वतंत्र रूप से थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रास्ता उपलब्ध कराना

*146. श्रीमती गुलजार देवी— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भेजा थाना का भवन पाँच वर्ष पूर्व बनकर तैयार है एवं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को उद्घाटन भी हो चुका है, परन्तु उस भवन में प्रवेश करने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है; यदि हाँ, तो सरकार कबतक निर्मित थाना भवन में जाने का रास्ता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्रेणी में शामिल करना

*147. श्रीमती लेशी सिंह : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में मल्लकण्डेय जाति पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1 में शामिल है;

(2) क्या यह बात सही है कि मल्लकण्डेय जाति की स्थिति सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति के समान है, यदि हाँ, तो उसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं करने का क्या औचित्य है ?

जिला का दर्जा देना

*148. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल को जिला का दर्जा देने हेतु वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में हुई आम सभा में घोषणा की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घोषणा के ग्यारह वर्ष उपरान्त भी आजतक बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय को जिला का दर्जा नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाढ़ अनुमंडल को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*149. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एस०सी०/एस०टी० थाना कांड संख्या 52/14 दिनांक 2 अगस्त, 2014 (समस्तीपुर) के नामजद अभियुक्त को गृह (विशेष) विभाग के ज्ञापांक 10061, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के आलोक के बावजूद आजतक गिरफ्तार नहीं किया गया है यदि हाँ, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित कांड के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने एवं पीड़िता को न्याय दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 29 फरवरी, 2016 (ई०) ।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (सा०प्र०) 170 डी०टी०पी० 450